मां सहित दो बच्चों की हत्या करने वाला पड़ौसी युवक निकला

आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए मालवीय नगर सैक्टर एक में जनरल स्टोर से मांस काटने वाला चाकू 75 रुपए में खरीदा था

जयपुर। राजधानी के मालवीय नगर इलाके के झालाना स्थित खटीकों के मोहल्ले में मां सहित दो मासूमों की निर्मम हत्या करने वाला पड़ौसी युवक ही निकला है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और संभवत: देर रात तक उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमें गुजरात और मध्यप्रदेश की तरफ आरोपी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं, गुरुवार दोपहर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतका और उसके दोनों बच्चों का शव परिजनों को सौंप दिया है। ग़मगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने प्रतिशोध लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। वारदात से पहले उसने कुछ कपड़े और चाकू खरीदा था। उसने दुकानदार से कहा था कि ऐसा चाकू चाहिए, जिससे मांस काटा जा सके।

पुलिस ने गुरुवार दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद मृतका और उसके दोनों बच्चों का शव परिजनों को सौंप दिया। उसके बाद ग़मगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

- **आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान के अलावा गुजरात व मध्यप्रदेश में दबिश दे रही है।**
- **पुलिस ने देर रात तक आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना जताई।**
- **मृतका सुमन का आरोपी शिव प्रताप की मां से करीब दो माह पहले घर के बाहर स्कूटी-बाइक धोने के दौरान पानी फैलने की बात को लेकर विवाद हुआ था।**

एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका सुमन बिष्ट का पड़ौसी शिव प्रताप सिंह नाम का युवक है। वह नशेड़ी और सनकी किस्म का है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि मृतका सुमन का शिव प्रताप की मां के साथ करीब दो माह पहले घर के बाहर स्कूटी-बाइक धोने के दौरान पानी फैलने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी सनक हत्यारे के दिमाग में थी। वह इसका बदला सुमन की हत्याकर लेना चाहता था। बुधवार को मौका देख उसने मालवीय नगर सेक्टर एक में स्थित एक जनरल स्टोर से 75 रूपए में चाकू, ऩए कपड़े, रूमाल, मफलर व शर्ट खरीदी थी। आरोपी ने दुकानदार से मांस काटने वाला चाकू मांगा था। इसके बाद वह सीधा सुमन के घर पहुंचा। यहां उसने पहली मंजिल पर सुमन (27) पत्नी लक्ष्मण सिंह और उसके दोनों बेटे जिव्यांश (4) और अभ्यांश (3) का चाकू से गला रेट कर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शिव प्रताप सिंह दो राउंड फायर कर पहली मंजिल से नीचे कूद कर फरार हो गया। भागते समय मौके पर गिरी पिस्टल को पुलिस ने बरामद कर लिया है।

मांस काटने के लिए चाकू की डिमांड करने पर दुकानदार को उसका चेहरा याद रह गया। जब पुलिस इलाके में लोगों से पूछताछ कर रही थी तो दुकानदार ने दुकान की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी। इसमें शिव प्रताप का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने जब फोटो और वीडियो लक्ष्मण को दिखाए तो उसने शिव प्रताप की पहचान कर ली। उसके बाद से ही लगातार दबिश दी जा रही है।

गमगीन माहौल में मां-बेटों की अर्थी उठी

गुरुवार दोपहर बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर मृतका सुमन और उसके बेटो जिव्यांश और अभ्यांश के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मृतकों के शव जब एम्बुलेंस से झालाना स्थित उनके घर पहुंचे तो वहां का माहौल ग़मगीन हो गया। इस दौरान जब घर से शमसान घाट के लिए अर्थी उठी तो इस हृदयविदारक दृश्य को देख वहां मौजूद लोगों की आँखे नम हो गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही था कि पानी के छोटे से विवाद में इस तरह कोई किसी का परिवार कैसे ख़त्म कर सकता है।

गुजरात-एमपी में दबिश दी

यादव ने बताया आरोपी शिवप्रताप सिंह नशेड़ी और सनकी किस्म का व्यक्ति है। पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमों का गठन किया गया है, जोकि गुजरात और मध्यप्रदेश में आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहीं हैं। पुलिस जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने बुधवार देर रात महिला के देवर और उसके कुछ दोस्तों से पूछताछ भी की है।

धरने पर बैठे बीजेपी प्रत्याशी

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कालीचरण सराफ सुमन के घर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। कालीचरण सराफ का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी तक वह धरना देंगे।

विदेशी प्रतिनिधी दल ने जयपुर मेट्रो का दौरा किया

जयपुर मेट्रो का दौरा करने आये 37 विदेशी दल का गुरूवार को भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया।

जयपुर, (का.सं.)। भारत सरकार के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक निगम कार्यक्रम के तहत 37 विदेशी प्रतिनिधियों के दल ने हेरिटेज संरक्षण के अध्ययन एवं चर्चा हेतु जयपु मेट्रो का दौरा किया।

मानसरोवर मेट्रो डिपो पहुंने पर प्रतिनिधी दल के साथ सभागार चिन्तन हॉल में एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया। जिसमें हेरिटेज संरक्षण के दौरान आई बाधाओं तथा उनके उन्नमूलन पर विस्तृत जानकाी दल को दी गई। दल के सभी प्रतिनिधियों ने चर्चा व प्रश्न/उत्तर वार्ता सत्र में भाग लिया। इस दौरान जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा ारों पूर्णकालिक निदेशकगण उपस्थित रहे। उसके उपान्त ऑपरेशनल कमांड सेंटर एवं डिपो वर्कशॉप का अवलोकन किया व जानकारी एकत्रित की। इसके पश्चात दल ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड मेट्रो स्टेशन तक की जयपुर मेट्रो द्वारा यात्रा की तथा छोटी चौपड स्थित ऑर्ट गैलेरी में स्कल्पचर, पेटिंग्स, कुंड के अवशेष, चौपड़ में खुदाई के दौरान निकले पुरातत्व अवशेष, गोमुखों एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोये गये पुातत्व महत्व की वस्तुओं को सहजने व संरक्षित करने की जानकारी दी।

36 मतगणना केंद्रों पर 1121 एआरओ की ड्यूटी

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 की मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8.30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी 36 केंद्रों पर मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर एवं नागौर में दो-दो केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक-एक केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि 51890 मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना के लिए मतगणना केन्द्रों पर 2524 टेबल लगाई गई है। इनमें कुल 4245 राउंड में मतों की गिनती का कार्य पूरा होगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सर्वाधिक 41 राउंड तक चलेगी, जबकि अजमेर दक्षिण के लिए मतगणना 14 राउंड में ही पूरी हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा इंतजामों के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बल और आरएएसी की व्यापक तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय पुलिस बलों की 40 कम्पनियां ईवीएम की सुरक्षा के लिए और आरएसी की 36 कम्पनियां मतगणना केन्द्रों पर तैनात रहेंगी। आरएएसी की 99 कम्पनियां विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था के मद्देनजर तैनात की जाएंगी।

इन चुनावों में कुल 4 लाख 36 हजार 664 मतदाताओं ने पोस्टल बैलट का उपयोग किया है, जिसमें से 80 वर्ष से अधिक उम्र के 49 हजार 365, दिव्यांग श्रेणी के 11 हजार 656 एवं आवश्यक सेवाओं के 4 हजार 427 तथा मतदान प्रक्रिया में जुटे 3 लाख 71 हजार 166 मतदाता शामिल है। गुप्ता ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी त्रुटि एवं देरी के समय रहते घोषित किए जाएं।

महेशचन्द्र शर्मा को सेवानिवृत्ति पर विदाई

जयपुर, (का.सं.)। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक महेशचन्द्र शर्मा को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर गुरूवार को भावभीनी विदाई दी गई। विभाग के निदेशक पुरूषोत्तम शर्मा ने महेशचन्द्र शर्मा को साफा व माला पहनाकर और मोमेन्टो भेंट कर सम्मानित किया। निदेशक शर्मा ने महेशचन्द्र शर्मा को अनुशासित और कार्यकुशल अधिकारी बताते हुए कहा कि वे राजकीय सेवा काल में सदैव मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के रहे।

समारोह को विभाग के वित्तीय सलाहकार सुभाष दानोदिया, अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना ने भी सबोधित करते हुए शर्मा के कार्यो एवं व्यवहार की प्रशंसा की।

बिना प्रारंभिक जांच एफ. आई. आर. क्यों? : हाईकोर्ट

- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करने पर ए.सी.एस., डी.जी.पी. और पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस**
- **कोर्ट ने यह भी पूछा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 41क का नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी कैसे की गई?**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापारिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करने पर डी.जी.पी., पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, एसीएस गृह और जालूपुरा थानाधिकारी अंतिम शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सात साल पुराने मामले में बिना प्रारंभिक जांच एफआईआर दर्ज क्यों की गई। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41क का नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी कैसे की गई। जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश संजय ठाकुर, हर्षा ठाकुर व अशोक ठाकुर की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि जालूपुरा पुलिस ने रिकवरी एजेंटों बैंकों के साथ मिलकर करीब आठ साल पुराने व्यापारिक लेन-देन के मामले में कुछ दिनों पहले संजय ठाकुर व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली। वहीं पुलिस ने बिना प्रारंभिक जांच और धारा 41क का नोटिस दिए बिना संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसकी सूचना उसके परिजनों को भी नहीं दी। दूसरी ओर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी इस तथ्य की अनदेखी कर उसे रिमांड पर भेज दिया। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी, अर्नेश कुमार व जोगिन्दर सिंह के मामलों में यह व्यवस्था दे रखी है कि तीन माह से पुराने व्यापारिक मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। वहीं सीआरपीसी की धारा 41क के तहत आरोपी को गिरफ्तार न कर पूछताछ के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी तय किया था कि यदि कोई पुलिसकर्मी इसकी पालना नहीं करते को उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था के तहत याचिकाकर्ता संजय ठाकुर को गलत तरीके से रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सीजे के समक्ष याचिका पेश की जा चुकी है। याचिका में गुहार की गई की दोषी अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए और थाने के संबंधित पुलिसकर्मियों को सभी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

- **अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है**
- **प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने के लिए नामजद किए धर्मसिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया**

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त चरण सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने के लिए नामजद किए धर्मसिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ अपराध कर उसे शारीरिक व भावनात्मक क्षित कारित की है। अभियुक्त का यह कृत्य पीड़िता के व्यक्तित्व और उसकी गरिमा को आहत करने वाला है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 24 फरवरी, 2021 को अस्पताल में इलाज के दौरान प्रताप नगर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह आज स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई और घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इस दौरान पड़ोस में रखने वाला अभियुक्त चरण आया और उसके सिर पर भारी वस्तु से चोट मारी। जिससे वह अर्द्ध बेहोशी की हालत में चली गई। इस दौरान अभियुक्त उसका मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया और कहा कि वह पुरानी लड़ाई का बदला लेगा। इसके बाद वह बेहोश हो गई। अभियुक्त ने उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त चरण सिंह को सजा सुनाते हुए एक अन्य युवक धर्मसिंह को बरी कर दिया है।

शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

जयपुर। निंबार्क जयंती महोत्सव के उपलक्ष में गुरुवार को छोटी काशी जयपुर में जगतगुरु श्री श्रीजी महाराज के सानिध्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में प्रदेश और देश की अनेक महत्वपूर्ण पीठों और मंदिरों के संत और महंतों के अलावा बड़ी संख्या में निम्बार्क वैष्णव जन सम्मलित हुए।

एल.आई.सी. की जीवन उत्सव योजना शुरू

जयपुर । भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के अध्यक्ष सिद्धार्थ महांति ने नई योजना "जीवन उत्सव" शुरू की है। यह स्कीम 29 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी। एल.आई.सी. की इस योजना में व्यक्तिगत, बचत और संपूर्ण जीवन बीमा शामिल है। यह सीमित प्रीमियम योजना है, जिसमें प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत अतिरिक्त लाभ शामिल है।

महांति ने बताया कि यह स्कीम 90 दिन से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के लिए है। इसमें जीवन भर आय और जोखिम कवर की गारंटी मिलती है। न्यूनतम प्रीमियम भुगतान अवधि 5 वर्ष है और अधिकतम प्रीमियम भुगतान अवधि 16 वर्ष रखी गई है। प्रत्येक पॉलिसी वर्ष, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, गारंटीकृत अधिकृत लाभ जो कि 40 रुपये प्रति हजार मूल बीमा राशि है, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगा। बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर और सभी देय प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, सीमित प्रीमियम अवधि और चयनित विकल्प के आधार पर ग्राहक दो विकल्पों के मुताबिक आय लाभ ले सकेंगे।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के अध्यक्ष सिद्धार्थ महांति ने नई योजना "जीवन उत्सव" लांच की।

रेग्युलर इनकम बेनिफिट में जो मूल बीमा राशि का 10 प्रतिशत है, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में देय होता है, जो कि आस्थागन अवधि के 3 से 6 वर्षों के बाद शुरू होता है। इसी प्रकार फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट विकल्प में, पॉलिसीधारक को देय मूल बीमा राशि का 10 प्रतिशत पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन जमा किया जा सकता है और बाद में निकाला जा सकता है, एल.आई.सी. ऐसे आस्थागित फ्लेक्सी आय भुगतानों पर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज का भुगतान करेगी, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होगा।

महांति ने बताया कि चूंकि पॉलिसीधारक को पूरे जीवन के लिए रिस्क कवर दिया जा रहा है, इसलिए मृत्यु लाभ भी कुछ शर्तों के हिसाब से देय होगा। जोखिम शुरू होने की तारीख के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु दर, अर्जित गारंटीकृत अतिरिक्त लाभ के साथ 'मृत्यु पर बीमा राशि' के बराबर मृत्यु लाभ देय होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो। यह मृत्यु लाभ, मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105 प्रतिशत से कम नहीं होगा। मृत्यु पर बीमा राशि, मूल बीमा राशि अथवा वार्षिक प्रीमियम का 7 गुणा, जो भी अधिक हो, देय होगा। इस योजना में परिपक्वता लाभ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रेग्युलर/फ्लेक्सी आय लाभ के विकल्प के मुताबिक जीवन भर फायदा मिलता रहता है।

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्य रुपा खान पुत्र श्री बाबू खॉ निवासी-प्लॉट नं. 140 बरकत कॉलोनी इमली वाली गली झोटवाडा जयपुर राजस्थान की ओर से सूचित करता हूँ कि मेरे अभिभाष्या का पुत्र आसिफ खान व उसकी पत्नी समा बानो व उसका छोटा पुत्र फिरोज व पत्नी शबनम उनके कहने में नहीं है तथा उनसे मेरे अभिभाष्य को जान माल व इज्जत का खतरा है मेरे अभिभाष्या ने इन दोनों व इनके बच्चों को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। तथा उनसे कोई लेना देना नहीं है कोई व्यक्ति या संस्था इनसे लेन देन करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी तथा पुत्रवधु के मध्य कोई विवाद होता है तो मेरे अभिभाष्य का कोई लेना देना नहीं होगा।
(भारत गुप्ता) एडवोकेट मो.9351945672

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पहाडगंज गृ.नि.स. समिति लि. जयपुर पंजीयन क्रमांक 2429/एल की योजना कानोता सुपर मार्केट स्थित ग्राम कानोता आगरा रोड जयपुर में भूखण्ड संख्या एस-28, क्षेत्रफल 56-00 वर्गगज का श्रीमती विमला देवी जैन पत्नि श्री सुरेश चन्द जैन निवासी 45, थाने वाली सडक वार्ड नं. 14 ग्राम व तहसील वैर जिला भरतपुर के नाम से आवंटित किया गया था किन्तु दिनांक 18.11.2022 को श्रीमती विमला देवी जैन पत्नि सुरेश चन्द जैन का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके द्वारा मनोनित श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन ने समिति कार्यालय में अपने हक के उक्त वर्णित भूखण्ड को अपने नाम से परिवर्तन करवाने हेतू आवेदन किया है इस सम्बन्ध में किसी संस्था व्यक्ति या अन्य किसी को कोई आपत्ती हो तो मय साक्ष्य के समिति कार्यालय में 15 दिवस के अन्दर सम्पर्क करें अन्यथा मियाद गुजर जाने के बाद उक्त प्रार्थी के हक में नाम परिवर्तन कर दिया जावेगा।
अध्यक्ष-पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुक्दमा नम्बर 77/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री हरीश कुमार गौर पुत्र श्री कान्ति लाल शर्मा निवासी 1104 टॉवर 23 ओचिंड पेटल्स सेक्टर 49, सोहना रोड गुडगॉव, हरियाणा-122018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रोटरी चेरिटेबल ट्रस्ट एम-132 आशियाना उत्सव, भिवाडी जिला अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 0911.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12.01.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

खोया पाया
कुमावत कॉलोनी मार्ग ए-5 स्थित प्लॉट के मूल पंचायत पट्टा साईट प्लान रसीद व अन्य सभी कागजात खो गये मिलने पर सूचित करें सीता देवी-8503997263

नाम परिवर्तन
मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेज में मेघा (Megha) दर्ज है बाकि सभी दस्तावेजों में मेघा अरोरा (Megha Arora) दर्ज है। ये दोनों मेरे स्वयं के ही है भविष्य में मुझे मेघा अरोरा के नाम से जाना जावें

मै आर्या रमेश गायकवाड पुत्री आर्मी नंबर 15221903-एफ, लान्स/नायक गायकवाड रमेश जगन्नाथ यूनिट 199 मीडियम रेजीमेंट मेरे पिता के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम आर्या है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम आर्या रमेश गायकवाड है।

I have Changed my Name from IPSA Kothari to IPSA Jain D/o Rajesh Kothari for all purpose. Resi.-19A, Bardiya Colony, Ramniwas Bagh, Museum Road, Jaipur

I army no 15129808L Ex Hav sharwan lal choudhari S/O Hira lal choudhari R/ O plot 85 riddhi siddhi nagar kalwar road Jaipur that have changed my son name from MOHIT CHAUDHARY is wrong entered in service record To MOHIT CHOUDHARY vide affidavit dated 29 nov 2023 before district notary Jaipur

I have changed my name from ASHOK SHARMA to ASHOK KUMAR SHARMA for all purposes R/o- D-6 Mahesh nagar 80 feet road Jaipur (Raj.)

I army no 1064377F Ex LD gajendra singh S/O Late raghunandan singh R/O rajputo ka mohalla soda teh.malpura dist Tonk that have changed my wife name from PREETAM KANWAR (DOB 32) To PREETAM KUNWAR (DOB 1/7/1965) vide affidavit dated 2023 before district notary Jaipur

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR
S.B. CIVIL WRIT PETITION No.______/2023
Any one Vs. State Bank of India.
Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering into CAVEAT
May it please Your Lordships
Your Lordship's humble applicant wants to enter into caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and let nothing be done till the applicants are heard in the matter.
The particulars of the writ which is likely to be filed are given below:-
The writ may be filed by the following persons:-
1) Anyone
That the writ is likely to be filed against -
State Bank of India, through its Assistant General Manager, HR Department, Local Head Office, Jaipur.
That the S.B/D.B. writ petition is to be filed challenging recruitment/result of Armed Guards in SBI.
That Vakalatnama on behalf of AGM, HR Department, SBI, LHO, Jaipur is submitted herewith.
It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.
Humble Applicant
Through Counsel
(Anita Aggarwal/Laxmikant), Advocates

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-निविदा सूचना
डी.आर.एम./कर्षण वितरण, उ.प.रे. जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के वास्ते एवं मंडल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **1. सम्पूर्ण जानकारी के लिए बेबसाईट का पता:** http://www.ireps.gov.in **2. ई-निविदाएं प्रस्तुत करने की तिथि व समय :** 22.12.2023 को 15.00 बजे तक **3. ई-निविदाएं खोलने की तिथि व समय :** 22.12.2023 को 15.00 बजे के बाद **निविदा संख्या:** 07TRD-JU-ETENDER-23 -24R **कार्य का नाम:** TRD work in c/w Construction of LHS at various section of Jodhpur Division and launching of composite girders for the ROB of Jodhpur Division. **कार्य की अनुमानित लागत (रुपये):** ₹6207395.60 विस्तृत जानकारी हेतु कृपया http://www.ireps.gov.in पर विजिट करें।
1218-AC/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

fincare Small Finance Bank
लॉकर तोडकर खोलना-निलामी "जो है जहाँ है" आधार पर
नीचे वर्णित लॉकर होल्डर (रों) को उनके द्वारा फिनकेयर स्माल फायनेन्स बैंक से लिये लाकर (रों) के लाकर किराये की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिये नोटिस जारी किया/किये जा चुके हैं। क्योंकि ग्राहक को किराया जमा कराने के लिये कहने के बार-बार दिये गये नोटिसों के बावजूद लाकर होल्डर (रों) से अपने (अपनी) बकाया का भुगतान करने में असफल रहे है, हम, नीचे दी गयी सूचि के अनुसार, लाकर तोड कर खोलने के लिये बाध्य है। लाकर तोड के खोलने का कार्य 15.12.2023 को प्रातः 10.00 से दिन में 2.00 बजे तक होगा।

सूचि

लॉकर होल्डर का नाम	लॉकर नम्बर	शाखा नाम	शाखा कोड	तोडने की तिथी
राजस्थान				
अरविन्द सिंह शेखावत	20	जयपुर	10375	15-दिसम्बर-23
अजय पुरोहित	9	जोधपुर आईटीआई सर्किल	10402	15-दिसम्बर-23
रविन्द्र कुमार सिंह	20	कोटा-घोडे वाले बाबा चौराहा रोड	10407	15-दिसम्बर-23
यशवन्त सिंह	4	कोटा-घोडे वाले बाबा चौराहा रोड	10407	15-दिसम्बर-23

नोट-लॉकर तोडकर खोलना लॉकर एग्रीमेन्ट, की कॉपी जो संदर्भित होल्डरों के पास है, में निहित नियमों व शर्तों के आधार पर है।